दिल्ली सरकार
प्रमुख अभियंता, लो0नि0वि0,
12वां तल, बहु–मंजिलाभवन, इंद्रप्रस्थसंपदा, नईदिल्लीः 110002
☏23317926, 23724561, 23317520, फैक्स23766924
Toll Free Complaint No. 1800 11 0093
वैबसाइट: http://pwd.delhigovt.nic.in
ई–मेल: pwdhqdelhi@gmail.com/dppwdhqdelhi@gmail.com

सं0: प्रमुख अभियन्ता / अनुरक्षण / एन.पी.सी. / 2019 / 1779(M) दिनांकः 11 04.2019

सेवा में

मुख्य अभियंता(पूर्व),
लो.नि.वि, तीसरातल, बहु–मंजिलाभवन,
इंद्रप्रस्थसंपदा, नई दिल्ली–02।

विषयः– आदर्श आचार संहिता का पालन करने के संबंध में।

जैसा की विदित है कि दिल्ली में लोक सभा चुनावों हेतु भारतीय चुनाव आयोग द्वारा आर्दश आचार संहिता लागू की जा चुकी है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग मुख्यालय से पत्र सं. प्रमुख अभियन्ता / अनुरक्षण / एन.पी.सी. / 2019 / 1641 दिनांक 29.03.2019 (प्रतिसंलग्न) द्वारा निर्देश जारी किये गए हैं कि लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं / कार्यो से संबंधित कोई भी जानकारी संवादाताओं को न दी जाए।

बार–2 अनुदेश जारी किए जाने के बावजूद भी टाइम्स आफ इंडिया समाचार पत्र दिनांक 08.04. 2019 पृष्ठ –3 (प्रतिसंलग्न) के अनुसार एक रिर्पोट में लो.नि.वि. के अधिकारियों के अनुसार पूर्वी दिल्ली में किए जाने वाले कार्यो की खबर छापी गई है। जिसे प्रमुख अभियन्ता महोदय द्वारा गंभीरता से लिया गया है । अतः इस संबंध मे निर्देश जारी किए जाते है कि इस विषय में अपनी रिर्पोट / टिप्पणी इस कार्यालय को 7 दिन के भीतर भिजवाएं ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

उप निदेशक (अनुवीक्षण)

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य अभियंता (अनुरक्षणं), लोनिवि, 12वॉ तल, एम.एस.ओ.भवन, नईदिल्ली।
2. प्रधान मुख्य अभियंता (परियोजनाए), लोनिवि, 9वॉ तल, एम.एस.ओ.भवन, नईदिल्ली।
3. मुख्य अभियंता(उत्तर), लो.नि.वि, 5वां तल, बहु–मंजिलाभवन, इंद्रप्रस्थसंपदा, नई दिल्ली–02।
4. मुख्य अभियंता(दक्षिण), लो.नि.वि, 7वां तल, बहु–मंजिलाभवन, इंद्रप्रस्थसंपदा, नई दिल्ली–02।
5. मुख्य अभियंता (फलाईओवर), लो.नि.वि, सरायंकाले खां,विपरित,इंद्रप्रस्थ पार्क,रिंगरोड़, दिल्ली–13।
6. मुख्य अभियंता(स्वास्थ्य) अनुरक्षण, लो.नि.वि, दूसरातल, बहु–मंजिलाभवन, इंद्रप्रस्थसंपदा, नई दिल्ली–02।
7. मुख्य अभियंता (परियोजना), लो.नि.वि., पहला तल, एम.एस.ओ.भवन, नई दिल्ली।

सभी को निर्देश जारी किए जाते है कि परियोजनाओं / कार्यो के संबध में सूचनाएं संवादाताओं को प्रकट की जा रहीं है जो कि समाचार पत्रों में छप रहीं हैं इससे आर्दश आचार संहिता का उलंघन होता है जिसे भारतीय चुनाव आयोग द्वारा गंभीरता से लिया गया है अतः इस संबंध में पुनः निर्देश जारी किये जाते हैं कि परियोजनाओं / कार्यो से संबंधित कोई भी सूचना सार्वजनिक न की जाए।

8. पी0डब्लू0डी0 वैबसाईट पर अपलॉड करने हेतु।

उप निदेशक (अनुवीक्षण)